

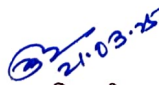
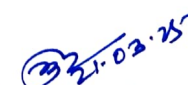
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०- से

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, विविध वाद सं०- 48/सन-2024- 25

केस का प्रकार - विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21.03.2025	-:आदेश:- यह विविध वाद अभिलेख सं०- 48/2024- 25 आवेदक नीरज कुमार, पिता- मुन्ना लाल वर्णवाल, साकिन- धनवार, थाना- धनवार, जिला- गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०- 06, श्री रामलखन मिस्त्री के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- बरजो, थाना नं०- 248 के ऑनलाईन पंजी- II के भाग सं०- XI, पृष्ठ सं०- 140 पर 1. लक्ष्मण मिस्त्री पिता भगतु मिस्त्री 2. सुनीता देवी, पति- वासुदेव प्रसाद साव के नाम से दोहरा जमाबंदी दर्ज है। उक्त जमाबंदी में से सुनीता देवी, पति- वासुदेव प्रसाद साव का नाम उक्त ऑनलाईन पंजी- II के भाग सं०- XI पृष्ठ सं०- 140 से हटा कर भौतिक पंजी- II के अनुरूप मौजा- बरजो/248 के ऑनलाईन पंजी- II के भाग सं०- XIII, पृष्ठ सं०- 140 पर जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में मौजा- बरजो/248 के ऑनलाईन पंजी- II के भाग सं०- XI पृष्ठ सं०- 140 में कायम जमाबंदी में से सुनीता देवी, पति- वासुदेव प्रसाद साव का नाम हटाने एवं हटाए गए जमाबंदी रैयत का भाग सं०- XIII, पृष्ठ सं०- 140 पर ऑनलाईन पंजी- II में जमाबंदी कायम करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- बरजो/248 के ऑनलाईन पंजी- II के भाग सं०- XI पृष्ठ सं०- 140 में कायम जमाबंदी में से सुनीता देवी, पति- वासुदेव प्रसाद साव का नाम हटाने एवं हटाए गए जमाबंदी रैयत का नाम भौतिक पंजी- II के अनुरूप मौजा- बरजो/248 के ऑनलाईन पंजी- II के भाग सं०- XIII, पृष्ठ सं०- 140 पर जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 06 एवं अंचल निरीक्षक, धनवार को उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	